# He Gazette of India

असाधारगा EXTRAORDINARY

MIN H-NOE 3-EN-NOELON (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

माधिकार वे प्रकारिक PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 213]

मई दिल्ली, मंगलबार, जुलाई 13, 1982/बाबाइ 22, 1904

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1982/ASADHA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ट संस्था को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्य में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

# गृष्ठ मंत्रासय

## अधिसचना

नई दिस्सी, 13 जूलाई, 1982

सा. सा. नि.493(ज). कोन्यीय मरकार, पंजाब पूनर्गठन अधिनियम, 1968 (1966 का 41) की घारा ३७ द्वारा प्रवक्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए इस अधिस्चना की तारील को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) का निम्मितिल अवतरणों के अधीन रहते हुए, खंडीगढ़ के मंध राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थान् :—

# उपांतरण

- 1. भारा 1 में, उप-भारा (2) को स्थान पर निम्नलिबितः उप-भारा रखी जाएंगी, अर्थात् :--
  - ''(2) यह उस तारील को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, चंडी-गढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर । स्पष्टीकरण-इस उपधारा में ''प्रशासक'' से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन

मियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संब राज्य क्षेत्र का प्रकासक अभिप्रत हैं''।

- 2. भारा 2 में, -
  - (क) प्रारंभिक भाग में ''पंजाब विद्युत (शुल्क) अधि-नियम, 1958' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958, जैसा वह चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त हैं' शब्द, कोष्ठक और अंक रसे जाएंगे:
  - (स) लण्ड 1 में, उपधारा (1) में, जैसा उस लण्ड ब्रारा मूल विधिनयम की धारा 3 में प्रतिस्थापित किए जाने के सिए निवेशित किया गया है,—
    - (1) प्रारंभिक भाग में ''राज्य सरकार'' सम्यों के स्थान पर, जो उसमें पहली बार आए हैं, ''क्लेन्द्रीय सरकार'' शब्द रखें जाए गें और उन्हीं शब्दों के स्थान पर, जो उसमें दूसरी बार आए हैं, ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा;
    - (2) प्रथमं परन्तुक में, ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रहा जाएगा ;
    - (3) तीसरे परन्तुक के पहले भाग में ''पंजाब विद्युत (श्रष्टिक) संशोधन अधिनियम, 1981 के प्रारंभ'

रह्मदों, कोष्ठकों और अंको के स्थान पर ''चंग्रीगढ के संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम सख्या 25) के प्रारम्म'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, उसमे पहली बार आने वाले ''राज्य मरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द और उसमें दूसरी बार आने वाले ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीम सरकार'' शब्द रखे जाएंगे,

(ग) खण्ड (2) में परन्तुकों के स्थान पर, ओ सूल अधि-निक्षम की धारा 3 की उप-धारा (4) मा जोड जाने के लिए उस खण्ड द्वारा निरंकित किए गए हैं,

निम्निलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रसा जाएगा, अर्थात् '--

'परन्त् चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्यूत (शूल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) द्वारा, यथा संशोधित इस धारा में विनिर्दिष्ट दरो पर मिद्यूत शूल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत तारीख के परवात आने वाली पहली मीटर रीडिंग तारीख के साथ प्रारम्भ होने वाले मीटर द्वारा दर्शित उपभाग को गणना में लिया जाएगा;

परत्तु यह और कि चडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिन्यम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) की भारा 1 की उपभारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत की गई तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उम नारीख के परचात् आने वाली पहली मीटर रीडिंग गारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्युत शुल्क की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो पंजाब विद्युत (शुल्क) मंशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम सख्या 25) का पंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया था।

''स्पष्टिकरण—इस थारा में ''प्रशासक'' से राष्ट्र-पति द्वारा संविधान को अनुचछेद 239 को अधीन निय्कत किया गया चंडीगढ़ को संघ राष्ट्रय क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रत है ।''

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

## उपर्वंभ

चंजीगढ के मंघ राज्यकोत्र पर यथा विक्तारित पंजाब विद्यूत्र (गुरूक) मंगोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) पंजाब विद्यूत (गूल्क) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बत्तीसवे वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इस अधिनियम का सिक्षिप्त नाम पंजाब विद्युत (शृल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 है।

(2) यह उस तारील को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, चंडीगढ़ राजपत्र में अधिस्चना द्वारा, नियत करे।

स्पष्टीकरण --इस उपधारा में, ''प्रशासक'' से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुष्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया ग्या चंद्रीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रत है।

2. 1958 के पंजाब अधिनियम 10 की धारा 3 का सशोधन-

मंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, पजाब विद्युत (गुल्क) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

- (1) उपधारा (1), के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखीं जाएगी, अर्थात् ·—
  - ''(1) बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता या अनुभिष्तिभारी को पदाय की गई ऊर्जा पर बारह पैसे प्रति यूनिट से अनिधिक ऐसे दर पर, जो प्रशासक समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विश्वत शुल्क कहा जाने बाला शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को संबत्त किया जाएगा:

परन्तु प्रशासक विभिन्न प्रवर्गी के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न वरे विनिर्दिष्ट कर सकता है

- परन्तु यह और कि सरकार द्वारा विनिर्विष्ट किए जाने बाले विद्युत शुस्क की दर आरह पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो सकती है किन्तु दस पैसे प्रति यूनिट से जस ऊर्जा पर अधिक नहीं होगी जिसका विवाह या अन्य आर्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा उप-भोग किया जाता है:
- परन्तू यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पजाब विद्युत शुल्क मंशोधन अधिनियम, 1931 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) के प्रारम्भ से, जब तक कि विद्युत शुल्क की दरे इस धारा के अधीन प्रशासक द्वारा पहली बार विनिर्दिष्ट की जाती है, विद्युत शुल्क बोर्ड द्वारा उपभोक्ता या अनुअधित-धारी को प्रवाय की गई ऊर्जा पर उद्गृहीत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को संवल्त किया जाएगा और इसकी संगणना निम्नलिखित दरो पर की जाएगी:
  - (1) जहां ऊर्जा का प्रदाय घरेलू उपभोक्ता को किया जाता है, बहां विद्युत गुल्क की दर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूगिट आठ पैसे होगी;
  - (2) जहां विद्युत का खदाय वाणिज्यिक उपभोक्ता क लिए किया जाता है वहां विद्युत श्लक की दर इस प्रकार प्रवाय की गई ऊर्जा के प्रति युनिट दम पैसे होगी;
  - (3) जहां विद्युत का प्रदाय किसी अन्य प्रवर्ग के उप-भीक्ताओं को किया जाता है वहां विद्युत की

वर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट पांच पैसे होगी:

- परन्तू यदि ऐसा उपभोक्ता घरेलू या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसे इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के किसी भाग का उपयोग करता,—
  - (क) जहां घरेलू या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के मापने के लिए किमी प्रथक मीटर को लगाया जाता है, वहां इम प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा के भाग पर विश्त शुल्क की दर यथास्थित खण्ड (1) या खंड (2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी, और
  - (स) अहां घरेलू या वाणिजियक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए कोई प्रथक मीटर नहीं लगाया जाता है वहां इस प्रकार प्रदाय की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर जिसके अन्तर्गत इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा भी है, विद्युत श्लक की दर इस खण्ड (2) में यथा विनिद्धिंट होगी;
  - (4) जहा विद्युत का प्रदाय किसी ऐसे उपभोक्ता को किया जाता है जो विवाह या अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा अनुक्राध्तिधारी नहीं है, वहां विद्युत शुल्क की दर पूर्ववतीं खंडों में अन्तर्धिष्ट किसी प्रतिकृत बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट दस स्पए होगी और
  - (5) जहां कर्जा का प्रदाय किसी अनुज्ञिप्तभारी को किया जाता है, वहां विद्युस शुल्क की दर इस प्रकार प्रदाय की गई कर्जा के प्रति यूनिट गांच पैसे होगी:
- परन्तु उस ऊर्णा के, जिसका ऐसे अनुज्ञाप्तिशारी द्वारा विकय किया जाता है, जो शारा 2 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञाप्तिशारी नहां है, निम्निनिखित को प्रवाय किए जाने पर :—
  - (क) घरेलू उपभोक्ता या बाणिण्यिक उपभोक्ता को, विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार विक्रय की गई कर्जा पर यथास्थिति खण्ड (1) या खण्ड (2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी;
  - (स) किसी अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं को, विद्युत शूल्क कीदर इस प्रकार विकय की गई ऊर्जा पर खण्ड (3) में यथा विनिर्विष्ट होगी; और
  - (ग) किसी भी उपभोक्ता को, जो विवाह या अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कने-वशन या विद्यमान कनेश्वन के अस्थाई दिस्तार द्वारा उपभोक्ता है, विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार विकाय की गई कर्जा पर खण्ड (4) में यथा विनिधिंट होगी। ''।
- (2) उप-धारा (4) में , भिम्निलिखन परन्तुक ओड़े जाएंगे, वर्धात् :—

- ''परन्तु चंक्षीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) द्वारा यथा संशोधित इस धारा में विनिर्विष्ट दरों पर विद्युत शुल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत तारीख के पश्चात् आने वाली मीटर रीडिंग की तारीख से प्रारंभ होने वाले मीटरों द्वारा दर्शित उपभोग को गणना में लिया जाएगा:
- परन्तू यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम मंख्या 25) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियस की गई तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख के परचात आने वाली पहली भीटर रीडिंग की तारीख समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्युत शुल्क की संगणना ऐसे की जाएगी मानो पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) का चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "प्रशासक" से राष्ट्रपित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है। "।

3. निरसन और व्याकृत्ति—(लोप किया गया)

[सं. यू-11013/3/82-यू.टी.एल. (150)] आर. वी. पिल्ले, संयुक्त सचित्र

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

# NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1982

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government bereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

# **MODIFICATIONS**

- 1. In section 1, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, appoint.
  - Explanation.—In this sub-section 'Administrator' means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution."
  - 2. In section 2,-
    - (a) in the opening portion, for the words, brackets and figures "the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958", the words, brackets and figures 'the Punjab Electricity

- (Duty) Act, 1958, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
- (b) in clause (1), in sub-section (1) directed by that clause to be substituted in section 3 of the principal Act.—
  - (i) in the opening portion, for the words "State Government" occurring therein for the first time, the words "Central Government" shall be substituted and for the same words occurring therein for the second time, the word "Administrator" shall be substituted;
  - (ii) in the first proviso, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be subetituted;
  - (lii) in the opening portion of the third proviso, for the words, brackets and figures 'the commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981", the words, brackets and figures "commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) in the Union territory of Chandigarh", for the words "State Government" occurring therein for the first time, the words "Administrator", and for the words "State Government" occurring therein for the second time, the words "Central Government" shall be substituted;
- (c) in clause (2), for the provisos directed by that clause to be added to sub-section (4) of section 3 of the principal Act, the following provisos and Explanation shall be substituted; namely:
  - 'Provided that for the purpose of computing the electricity duty at the rates specified in this section as amended by the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, the consumption shown by the meters commencing with the first meter reading date falling after the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the said Act shall be taken into account:
  - Provided further that, for the period commencing with the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, and ending with the first meter reading date falling after that cate, the electricity duty shall be computed as if the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) had not been extended to the Union territory of Chandigarh.
  - Explanation.—In this section "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution.
- 3. Section 3 shall be omitted.

### **ANNEXURE**

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ACT, 1981 (PUNJAB ACT No. 25 OF 1981) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Flectricity (Duty) Act, 1958.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981.
- (2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, appoint.

- Explanation.—In this sub-section, "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution.
- 2. Amendment of section 3 of Punjab Act 10 of 1958.— In the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958, as in force in the Union territory of Chandigarh to as the principal Act), in section 3,—
  - (1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
    - "(1) There shall be levied and paid to the Central Government on the energy supplied by the Board to a consumer or a licensee a duty to be called the electricity duty, at such rate not exceeding twelve paise per unit as the Administrator may, from time to time, by notification specify:
  - Provided that the Administrator may specify different rates for different categories of consumers:
  - Provided turther that the rate of electricity duty to be specified by the Government may exceed twelve palse per unit but shall not exceed ten rupees per unit of energy consumed through a temporary connection or temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function:
  - Provided further that as from the commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) in the Union territory of Chandigarh, till the rates of electricity duty are for the first time specified by the Administrator under this section, the electricity duty shall be levied and paid to the Central Government on the energy supplied by the Board to a consumer or a licensee and it shall be computed at the following rates:—
    - (i) where the energy is supplied to a domestic consumer, the rate of electricity duty shall be eight paise per unit of energy so supplied;
    - (ii) where the energy is supplied to a commercial consumer, the rate of electricity duty shall be ten paise per unit of energy so supplied;
    - (iii) where the energy is supplied to any other category of consumers, the rate of electricity duty shall be five paise per unit of energy so supplied:
  - Provided that if such a consumer uses any part of the energy so supplied to him for a domestic or commercial purpose,—
    - (a) where a separate meter is initialled for measuring energy so used for a domestic or commercial purpose, the rate of electricity duty on the part of the energy so used shall be as specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be, and
  - (b) to where a separate matter is not installed for measuring energy so used for a domestic or commercial purpose, the rate of electricity duty on the whole of the energy so supplied, including the energy so used, shall be as specified in clause (ii);
    - (iv) where the energy is supplied to any consumer, not being a licensee through a temporary connection or a temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function. the rate of electricity duty shall be ten rupees per unit of the energy so supplied notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding clause; and
    - (v) where the energy is supplied to a licensee, the rate of electricity duty shall be five paise per unit of the energy so supplied.
  - Provided that on the supply of energy which is sold by a licensee not being a licensee as specified in such clause (ii) of clause (d) of section 2,—
    - (a) to a domestic consumer of a commercial consumer, the rate of electricity duty on the energy so sold

- shall be as specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be;
- (b) to any other category of consumers, the rate of electricity duty on the energy so sold shall be as specified in clause (iii); and
- (c) to any consumer, through a temporary connection or a temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function, the rate of electricity duty on the energy so sold shall be as specified in clause (iv).";
- (2) to sub-section (4), the following provisos shall be added, namely :--
  - Provided that for the purpose of computing the electricity duty at the rates specified in this section as amended by the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, the consumption shown by the meters commencing with the first meter reading date falling after the date appointed by the Administrator under sub-section

- (2) of section 1 of the said Act shall be taken into account:
- Provided further that, for the period commencing with the date appointed by the Administrator under subsection (2) of section 1 of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, and ending with the first meter reading date falling after that date, the electricity duty shall be computed as if the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) had not been extended to the Union territory of Chandigarh.
- Explanation.—In this section "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution".
- 3. Repeal and Saving.-[Omitted]

[No. U-11013/3/82-UTL (150)] R. V. PILLAI, Jt. Secv.